फैक्स / ई–मेल

अत्यावश्यक

पत्रांक –1–प्रा0आ0(2)–24 / 2006 / 455 / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 23/2/17

विषय: **अग्निकांड की आपदा से निपटने के संबंध में निदेश।**

महाशय,

कृपया विभागीय पत्रांक–1061 / आ0प्र0, दिनांक–08.03.2016 द्वारा भेजे गये "अग्निकांड की आपदा से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का स्मरण किया जाय। उपर्युक्त विषय के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि इस वर्ष ग्रीष्मकाल प्रारंभ हो रहा है। ग्रीष्मकाल मैं राज्य के विभिन्न जिलों में अग्निकांड की संभावना काफी बढ़ जाती है। राज्य सरकार की नीति है कि अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित जिले के आपदा प्रबंधन के उत्तरदायी पदाधिकारी एवं उनकी टीम यातायात के उपलब्ध सर्वाधिक तेज साधनों (fastest means of transport) से घटना स्थल पर पहुँचें एवं त्वरित गति से पीड़ितों को साहाय्य प्रदान किया जाए। भीषण अग्निकांड होने पर संबंधित जिला पदाधिकारी को स्वयं घटना स्थल पर शीघ्रातिशीघ्र पहुँच कर साहाय्य की व्यवस्था कराना है। इस संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पूर्व में जिलों को समय–समय पर व्यापक अनुदेश / निदेश दिये गए हैं।

2. मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अग्निकांड की आपदा के प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन के स्तर से निम्न कार्रवाईयाँ की जाएंगी :–

(i) अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही अंचल अधिकारी / अनुमण्डल पदाधिकारी घटना स्थल पर यातायात के उपलब्ध सर्वाधिक तेज साधनों से पहुँच कर राहत एवं बचाव के कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे। जहाँ पर अग्निकांड की बड़ी घटना प्रतिवेदित हो वहाँ अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन / जिला पदाधिकारी स्वयं शीघ्रातिशीघ्र पहुँच कर राहत एवं बचाव कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ii) अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही आवश्यकतानुसार फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर रवाना किया जाएगा। यदि राज्य स्तर से इस संबंध में सहयोग की आवश्यकता हो तो आपदा प्रबंधन विभाग के इमरजेन्सी ऑपरेशन केन्द्र **(SEOC)** दूरभाष संख्या–0612–2217301, 2217302, 2217303,

2217304, 2217305, 2217306 एवं फैक्स सं0–2215734 को अविलंब सूचित किया जाएगा।

(iii) गर्मी के दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में आगलगी की घटनाओं की रोक–थाम के संबंध में महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक–41/गो0 दिनांक–07.02.2017 (फोटो प्रति संलग्न) विशेष रूप से द्रष्टव्य है। अभी से ही फायर ब्रिगेड के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनको सुपरिभाषित कार्यभार सौपे जा सकते हैं।

(iv) अग्निकांड पीड़ितों को 24 घंटे के अंदर अनुमान्य साहाय्य, यथा, पॉलीथिन शीट, खाद्यान्न अथवा खाद्यान्न की अनुपलब्धता की दशा में विभाग द्वारा निर्धारित राशि नकद अनुदान तथा वस्त्र एवं बर्त्तन के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था की जाएगी तथा मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान अविलंब किया जाएगा।

(v) जले एवं क्षतिग्रस्त मकानों की सूची तैयार कर गृह क्षति अनुदान का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जाएगा।

(vi) राहत एवं बचाव कार्यों को सुनिश्चित करने एवं पर्यवेक्षण हेतु कर्मचारी/पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे।

(vii) भीषण अग्निकांड से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष राहत केन्द्र संचालित किए जाएंगे। विशेष राहत केन्द्रों के संचालन के संबंध में विभागीय पत्रांक 52 (प्र0), दिनांक 26.05.2012 एवं पत्रांक 1834 दिनांक 08.06.2012 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। (फोटो प्रति संलग्न)।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित बिन्दुओं पर जिला प्रशासन/गृह विभाग (अग्निशाम सेवाएँ) द्वारा कार्रवाई की जाएगी :

(i) गर्मी के मौसम के प्रारंभ में ही आगजनी की घटनाओं को रोकने एवं घटना घटित होने पर साहाय्य प्रदान करने के लिए पूर्व तैयारियाँ अविलम्ब पूरी कर ली जाय।

(ii) जिला मुख्यालय में अग्निकांड से संबंधित घटनाओं के पर्यवेक्षण एवं सहाय्य कार्य के अनुश्रवण हेतु जिला इमरजेन्सी ऑपरेशन केन्द्र (DEOC) को कार्यशील कर दिया जाय। उक्त केन्द्र का प्रभार किसी वरीय पदाधिकारी को दिया जाय। साथ हीं उक्त केन्द्र में दूरभाष/फैक्स की व्यवस्था भी की जाय एवं समाचार पत्रों के माध्यम से उक्त दूरभाष/फैक्स संख्या की जानकारी सभी को दी जाय।

(iii) फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की आवश्यकतानुसार मरम्मति अविलम्ब करा ली जाय। जहाँ चालक आदि की समस्या है, स्थानीय व्यवस्था द्वारा इसे दूर कर लिया जाय।

(iv) आवश्यकता के समय फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ सुदूर देहातों में समय पर पहुँच सके, इसके लिए यथासंभव अनुमंडल मुख्यालयों/थानों में भी गाड़ियों को रखने की व्यवस्था की जाय, खासकर जहाँ के क्षेत्रों का रास्ता दुर्गम हो।

(v) आगजनी की घटनाओं की निरोधात्मक कार्रवाई के संदर्भ में जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश देंगे कि वे अपने क्षेत्र में अग्निकांड की रोकथाम हेतु विभिन्न प्रचार माध्यमों से लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे।

(vi) अग्निकांड की रोकथाम हेतु जिला पदाधिकारी अपने जिला क्षेत्र में निम्नलिखित तथ्यों को प्रचारित/प्रसारित करावेंगे :–

(क) हवा के झोंकों के तेज होने के पहले ही खाना पकाकर चूल्हे की आग को पानी से पूरी तरह बुझा दें।

(ख) चूल्हे की आग की चिंगारी पूरी तरह बुझी हो, इसे सुनिश्चित कर लिया जाए।

(ग) घर से बाहर जाते समय बिजली का स्विच ऑफ हो, इसे सुनिश्चित कर लिया जाए।

(घ) खाना वैसी जगह पकाया जाय, जहाँ हवा का झोंका न लगे।

(च) बीड़ी–सिगरेट पीकर इधर–उधर या खलिहान की तरफ न फेंकें।

(छ) गाँव/मोहल्लों में जल एवं बालू संग्रहण की व्यवस्था रखी जाय ताकि आग पर शीघ्र काबू पाया जा सके।

(ज) आगजनी से बचाव हेतु उपाय 'क्या करें–क्या न करें' को आग प्रवण क्षेत्रों में प्रसारित कराया जाय। (संलग्न है।)

(vii) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'फायर बूथों' की स्थापना लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। प्रत्येक गाँव में 'फायर बीटर्स', फायर टेंक, बाल्टी, रस्सी एवं कुल्हाड़ी आदि छोटे–छोटे अग्निशमन उपकरण एवं एक घंटी (आग की सूचना के लिए) सार्वजनिक स्थल पर रखवाने की व्यवस्था पंचायत की मदद से की जा सकती है।

(viii) प्राकृतिक आपदा के समय राहत प्रदान करने हेतु वर्ष 2015–2020 की अवधि में लागू नया मानदर विभागीय पत्रांक 1973/आ0प्र0 दिनांक 26.05.2015 द्वारा सभी जिलों को भेजा गया है। नया मानदर आपदा प्रबंधन विभाग के वेबसाइट www.disastermgmt.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है। नए मानदर के अनुसार ही राहत उपलब्ध कराया जाएगा।

(ix) अग्निकांड से राज्य के कृषकों के खेत में लगी फसल अथवा खलिहान में रखी गई फसल की क्षति की सी0आर0एफ0 (अब एस0डी0आर0एफ0) से अनुमान्यता के संबंध में विभागीय पत्रांक–1023 दिनांक–21.04.08 द्वारा निदेश भेजा गया है।

(x) यदि साहाय्य राशि की आवश्यकता हो तो उसकी मांग आपदा प्रबंधन विभाग से तत्काल की जायेगी। परन्तु इस मद में राशि अनुपलब्ध रहने पर भी जिले में उपलब्ध किसी भी मद की राशि से अग्निपीड़ित परिवारों को साहाय्य मुहैया कराना सुनिश्चित किया जायेगा। पारिवारिक लाभ योजना/झोपड़ी बीमा योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी अग्निपीड़ितों को नियमानुसार दिलाया जायेगा।

(xi) मकान/झोपड़ी की क्षति के लिए निर्धारित मानदर के अनुरूप गृह क्षति अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा मुख्य सचिव, बिहार के हस्ताक्षर से निर्गत पत्रांक–2886 दि0–26.05.2005 के द्वारा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बी0पी0एल0 परिवारों को पुनर्वासित करने हेतु जिला पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। यदि पीड़ित परिवार इन्दिरा आवास प्राप्त करने की निर्धारित अर्हता रखते हैं तो इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत उन्हें भवन निर्माण कर पुनर्वासित किया जाना है।

(xii) साहाय्य कार्य सम्पन्न करने के पश्चात् अग्निकांड से हुई क्षति एवं किये गए साहाय्य कार्यों का विवरण संलग्न विहित प्रपत्र में जिला पदाधिकारी 24 घंटे के भीतर सरकार को प्रतिवेदित करेंगे।

(xiii) यदि मुख्यालय से किसी भी सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो आपदा प्रबंधन विभाग के पदाधिकारियों (प्रधान सचिव सहित) से ससमय सम्पर्क स्थापित किया जाए।

(xiv) सभी महत्वपूर्ण विभागीय परिपत्रों एवं अद्यतन मानदर से संबंधित पत्र सभी जिला पदाधिकारियों को पूर्व में उपलब्ध कराया जा चुका है, एवं विभागीय बेवसाईट www.disastermgmt.bih.nic.in पर उपलब्ध है। अगर संबंधित परिपत्र/पत्र/निदेश उपलब्ध न हों तो उसे विभाग के वेवसाईट से प्राप्त किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि आगजनी की घटना की रोकथाम एवं उसके घटित होने पर उपर्युक्त निदेशों के आलोक में राहत एवं बचाव संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

प्रधान सचिव

अनु0– यथा उपर्युक्त।

10 FEB 2017

पत्रांक– 41 / गो०

मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना ।

प्रेषक,

पी०एन० राय, भा०पु०से०
महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा,
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार
सभी जिला समादेष्टा,
बिहार गृह रक्षा वाहिनी।

पटना, दिनांक– 07.02.2017

प्रसंगः– राज्य अग्निशाम कार्यालय का पत्रांक–1042 दिनांक–02.03.2016, एवं पत्रांक–1332 दिनांक–17.03.2016 एवं 1461 दिनांक–25.03.2016, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी का पत्रांक 145 एवं 146 दिनांक 04.03.2016,ज्ञापांक–449 दिनांक–07.12.2016

विषयः– **गर्मी के दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में आगलगी की घटनाओं की रोक–थाम के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त प्रसांगिक विषय पर पूर्व से निर्गत पत्रों का कृपया स्मरण करें। मुख्य रूप से पत्रांक–449 दिनांक–07.12.2016 का स्मरण करें। इस वर्ष भी अभी से तेज हवाएँ चलना प्रारम्भ हो गई है। पिछले वर्ष तेज हवाओं और अत्यधिक गर्मी के कारण आग की घटनाओं में बहुत वृद्धि हुई थी।

अतः आवश्यक है कि अग्नि सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा एवं निरोधात्मक कार्य अभी से ही प्रारम्भ कर दिया जाय। पिछले वर्ष अग्नि सुरक्ष के संदर्भ में ग्रामीणों के लिए कुछ सुझाव वितरित किए गए थे, उसकी प्रति पुनः संलग्न की जा रही है। कृपया इन निदेशों/सुझावों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार कराया जाय, लीफलेट,पम्पलेट, पोस्टर, लाउडस्पीकर के माध्यम से। पंचायत स्तर पर/ ब्लॉक स्तर पर क्षमतावृद्धि के लिए कार्यक्रम आयोजित करायें जायें। इस सदर्भ में कुछ जिलों में ग्रामीणों के साथ बैठक के उपरान्त पंचायत स्तर पर, किए जाने वाले निरोधात्मक कार्यो की रूप–रेखा ज्ञापांक–449 दिनांक–07.12.2016 द्वारा प्रेषित की गई है। कृपया इसके आलोक में भी पंचायत स्तर पर कार्रवाई कराई जाय।

कृपया अग्नि सुरक्षा के प्रबंधों के लिए समाचार–पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराया जाय।

अनुलग्नक–यथोपरि।

(पी०एन० राय)

ज्ञापांक 41/गो० पटना, दिनांक 07.02.2017

प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।

महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवायें,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 41/गो० पटना, दिनांक 07.02.17

प्रतिलिपि – सभी पुलिस उप महानिरीक्षक, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।

महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवायें,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 41/गो० पटना, दिनांक 07.02.17

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।

महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवायें,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 41/गो० पटना, दिनांक 07.02.17

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।

महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवायें,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 41/गो० पटना, दिनांक 07.02.17

प्रतिलिपि – माननीय उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बिहार, पटना को सूचनार्थ।

महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवायें,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 41/गो० पटना, दिनांक 07.02.17

प्रतिलिपि – अपर महासमादेष्टा/उप–महासमादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवायें, बिहार पटना को सूचनार्थ।

महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवायें,
बिहार, पटना।

(493)

स

पत्रांक—......./

महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा का कार्यालय,
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाये, बिहार, पटना।

प्रेषक,

पी0एन0 राय, भा0पु0से0
महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा,
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
बिहार।

दिनांक: 07 दिसम्बर, 2016

विषय:— **ग्रामीण क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर कुछ जिलो में अंचल, अनुमण्डल एवं जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों तथा जन—प्रतिनिधियों के साथ अग्नि रोक—थाम के संबंध में हुई कार्यशाला/बैठक में निर्णय हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों के खेत, खलिहान, झोपड़ी एवं गाव में होने वाली अग्नि घटनाओं को रोकने के लिए जन—प्रतिनिधियों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। इन बैठकों में इस संदर्भ में निम्न कार्रवाई करने पर सहमति बनी थी:—

01. मुखिया के द्वारा गॉव में पानी के श्रोतो का लेखा—जोखा रखना अर्थात्—जितने पम्पिंग सेट उपलब्ध है, उनका विवरण रखना जिससे कि उन्हें जरूरत पड़ने पर एलॉट किया जाय और वह आग बुझाने के समय पानी उपलब्ध करा सकें। ऐसे जल श्रोतो के मालिक/चालक का टेलीफोन नम्बर अग्निमशन सेवा को भी उपलब्ध कराना।

02. थ्रेसर के कारण भी आग लगती है। इस संबंध में यह निर्णय हो कि सभी थ्रेसर मालिक/चालकों में जागरूकता बढाना जाय थ्रेसर का उपयोग सुरक्षित कैसे करें। उदाहरणस्वरूप— थ्रेसर का तार सड़े—गले नहीं हो। थ्रेसर के पास पानी उपलब्ध हो। यदि पास में तालाब हो तो वहॉ पर पम्पिंग सेट लगाकर रखा जाय इत्यादि।

03. झोपड़ियो एवं गांव में आग बुझाने के लिये पूर्व से निर्गत advisory द्वारा समाचार—पत्र/ लीफलेट/पम्पलेंट इत्यादि के द्वारा व्यापक प्रचार करने की आवश्यकता है। इसका प्रकाशन एवं प्रचार जिला स्तर से हो। पचायतों को भी इस काम के लिये enable करना।

492

04. ग्रामीण क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा के लिए क्षमतावृद्धि के कार्यक्रम कराने के लिए जन–प्रतिनिधयों को उत्प्रेरित कराया जाना एवं उनके माध्यम से ही ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कराना। अग्निशमन सेवा इसमें भरपूर सहयोग करेगी। ऐसे कार्यक्रमों को कराने के लिए पंचायतों को वित्तीय सहायता देना।

इस प्रकार अन्य निर्णय भी लिए गए थे।

अतः अनुरोध है कि जन–प्रतिनिधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा के कार्यक्रम कराया जाय।

विश्वासभाजन,

(पी०एन० राय)

ज्ञापांक 1491/अग्नि पटना / दिनांक 07-12-2016

प्रतिलिपिः–

01. माननीय उपाध्यक्ष, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना को अवलोकनार्थ।
02. प्रधान सचिव, गृह विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
03. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
04. प्रधान सचिव, पंचायती राज्य विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
05. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
06. सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
07. सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा,
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवायें,
बिहार, पटना।

C/C

नोटः– आग लगने पर डायल करें 101 अथवा 0612–2229988, 9431448273, 2222020

(7)

पत्रांक–1 / प्रा0आ0(2)–24 / 2006...1834/ आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

FAX

व्यास जी,

प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार।

पटना–15, दिनांक– 8.6.12

विषय– **भीषण अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विशेष राहत केन्द्रों संचालन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–52(प्र0) दिनांक–26.05.2012 के द्वारा भीषण अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विशेष राहत केन्द्रों के संचालन के संबंध में निदेश भेजा गया है, जिसमें पांच वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन दो वक्त सुबह–शाम आवश्यकतानुसार दूध मुहैय्या कराने का प्रावधान भी किया गया है। दूध की आपूर्त्ति कॉम्फेड द्वारा किया जाना है तथा वास्तविक खर्च का भुगतान संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है।

इस संबंध में जिलों से पृच्छा की गई है कि बच्चों को मुहैय्या कराये जाने वाले दूध की मात्रा क्या होगी तथा कॉम्फेड द्वारा दूध उपलब्ध नहीं कराये जाने पर दूध का क्रय कहाँ से किया जा सकता है।

उपरोक्त के आलोक में विभाग द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि राहत कैम्पों में सुबह–शाम 250–250 मि0ली0 दूध 5 वर्ष अथवा इससे कम उम्र के बच्चों को दिया जाय। कॉम्फेड द्वारा दूध नहीं उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में स्थानीय स्तर पर अच्छी गुणवत्ता का दूध का क्रय किया जा सकता है। दूध संक्रमणमुक्त हो, इसकी जांच भी जिला पदाधिकारी करा लेंगे।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)

प्रधान सचिव

(6)

पत्रांक–1 / प्रा0आ0(2)–24 / 2006.....52 (प्र0)..... / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–26.05.12

विषय– भीषण अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विशेष राहत केन्द्रों संचालन के संबंध में।

महाशय,

ग्रीष्मकाल में राज्य के विभिन्न जिलों में अग्निकांड की घटनायें होती रहती है। अग्निकांड की छिटपुट घटनायें होने पर जिला प्रशासन द्वारा त्वरित गति से पीड़ितों को निर्धारित मानदर के अनुरूप सहाय्य प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। परन्तु भीषण अग्निकांडों, जिसमें काफी संख्या में झोपड़ियां/कच्चे मकान क्षतिग्रस्त होते हैं तथा जानमाल की गंभीर क्षति होती है, से प्रभावित परिवारों को विशेष राहत केन्द्रों में आवासित करने की आवश्यकता हो सकती है।

अतएव जिला पदाधिकारी भीषण अग्निकांडों में आवश्यकतानुसार विशेष राहत केन्द्रों की स्थापना कर सकते हैं। यह विशेष राहत केन्द्र कम अवधि के लिए चलाए जायेंगे जिसका निर्धारण स्थिति विशेष के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। जिला पदाधिकारी राज्य आपदा रिस्पांस कोष के मानदर के अनुसार अनुदान का भुगतान शीघ्रता से सुनिश्चित करेंगे। मुफ्त साहाय्य एवं गृह क्षति अनुदान का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जाए ताकि पीड़ित परिवार अपने अस्थायी आवासन की व्यवस्था कर लें। तब विशेष कैम्प की आवश्यकता न रहेगी। ऐसे राहत केन्द्रों के सफल संचालन हेतु निम्नांकित व्यवस्था की जाएगी :–

1. **कैम्प कार्यालय** – कैम्प कार्यालय खोलकर प्रभावित परिवारों का पंजीयन कर लिया जाय जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के बारे में संपूर्ण जानकारी दर्ज की जाय। इस कार्य हेतु हल्का कर्मचारी। पंचायत सचिव/पंचायत रोजगार सेवक/आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका की सेवा ली जा सकती है
2. **आवासन–** घटना स्थल के समीप किसी सरकारी पक्का मकान यथा विद्यालय भवन /सामुदायिक भवन/आंगनबाड़ी केन्द्र/पंचायत भवन आदि के परिसर में अथवा टेन्टों में प्रभावित परिवारों को आवासित किया जाय। यदि टेन्ट उपलब्ध न हों तो आपदा प्रबंधन विभाग को त्वरित गति से सूचित किया जाए ताकि अन्य जिलों में उपलब्ध टेन्ट उक्त जिले में भेजवाए जाए।

3. **भोजन**– प्रभावित परिवारों को पका हुआ भोजन दो बार (सुबह –शाम) मुहैया कराया जाना है। इसके लिए सामान्य रूप से चावल की खपत होगी। इसके अतिरिक्त दाल, सब्जी एवं ईधन की आवश्यकता होगी। यह प्रयास रहे कि भोजन व्यवस्था में खाना बनाने से लेकर खाना खिलाने का कार्य यथा संभव स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के माध्यम से कराया जाय।

भोजन तैयार करने के लिए रसोइये की जरूरत होगी । कैम्प में आये हुए विस्थापित महिलाओं/पुरूषों की सेवायें इस कार्य हेतु ली जा सकती है। उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान श्रम संसाधन विभाग के द्वारा निर्धारित दर पर की जायेगी। पका हुआ भोजन स्वच्छ एवं पौष्टिक होना चाहिए।

<u>इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाय कि बासी भोजन का इस्तेमाल किसी भी हालत में नहीं हो।</u>

4. **दरी /चटाई**– विस्थापितों के विश्राम के लिए कैम्प में दरी/चटाई की व्यवस्था की जायेगी।
5. **वस्त्र एवं बर्त्तन** – विभागीय पत्रांक–1376 दिनांक–27.04.2012 के द्वारा अग्निकांड आपदा के उपरान्त राहत वितरण के संबंध में संशोधित मानदर परिचारित है। उक्तानुसार बस्त्र के लिए ₹ 1300 प्रति परिवार तथा बर्तन के लिए ₹ 1400 प्रति परिवार की राशि का वितरण शीघ्रातिशीघ्र कर लिया जाय ताकि प्रभावित परिवार आवश्यक वस्त्र/बर्त्तन का क्रय कर सके।
6. **बच्चों के लिए दूध**– पाँच वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन दो वक्त (सुबह–शाम) आवश्कतानुसार दुग्ध मुहैय्या कराया जाएगा।
7. **रोशनी**– कैम्प में रोशनी की समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए। इसके लिए generator में diesel/kerosene, अथवा लालटेनों में kerosene, का व्यय अनुमान्य होगा।
8. **पेयजल, अस्थायी शौचालय, स्वच्छता**– पुरूष एवं महिला के लिए अलग–अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। सफाई के लिए साबुन/डिटजेन्ट पाउडर, फेनाईल की व्यवस्था होनी चाहिए। इस कार्य की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा की जाएगी। इस हेतु प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं की सेवाएं ली जा सकती है।
9. **स्वास्थ्य एवं चिकित्सा**– कैम्प में औषधि के साथ चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहेंगे। नये संशोधित मानदर के अनुसार चिकित्सा सुविधा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) द्वारा दिया जाना है।
10. **सुरक्षा व्यवस्था**– अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए समुचित आरक्षी बल की व्यवस्था कैम्प में की जायेगी।
11. **संचार सुविधा**– आवश्यक सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए कैम्प में संचार सुविधा की व्यवस्था की जाएगी।
12. **मानदर**– कैम्प व्यवस्था हेतु मानदर निर्धारित करने का प्रस्ताव विचाराधीन था। कैम्प हेतु निम्नलिखित मानदर निर्धारित की जाती है:–

1. पका हुआ भोजन	(क) दो वक्त (सुबह–शाम) विस्थापितों को दिया जायेगा।
	(ख) मुफ्त वितरण हेतु जिलों को उपलब्ध कराए गए, चावल का उपयोग राहत शिविर में किया जाएगा।
	(ग) चावल प्रति व्यस्क–500 ग्राम, प्रति अवस्क–200 ग्राम, प्रति दिन की दर से दिया जाएगा।
	(घ) दाल 100 ग्राम, व्यस्क एवं अवयस्क को प्रतिदिन दिया जाएगा।
	(ड़) सब्जी के लिए आलू प्रति व्यक्ति 200 ग्राम, प्रतिदिन की दर से।
	(च) तेल, मशाला, ईंधन आदि के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 10 रू0 की दर से।
	(छ) रसोईयों के पारिश्रमिक का भुगतान श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा।
	(ज) दाल, तेल, सब्जी, एवं ईंधन के दर का निर्धारण स्थानीय कय समिति द्वारा किया जाएगा।
2. रोशनी	(क) रोशनी के लिए भाड़े पर जेनरेटर की व्यवस्था ।
	(ख) जेनरेटर के भाड़ा का निर्धारिण जिला स्तरीय कय समिति द्वारा किया जाएगा।
	(ग) 1 माह में 100 (एक सौ) लीटर डीजल, अनुमान्य होगा।
	(घ) आवश्यकतानुसार लालटेन तथा किरासन तेल का उपयोग किया जाएगा जिसका आंकलन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
3. दरी/चादर	इसकी व्यवस्था सरकारी संख्था/स्वयंसेवी संस्था अथवा अन्य श्रोत से प्राप्त सामग्री से की जाएगी। अनुपलब्धता की स्थिति में जिला पदाधिकारी, नियमानुसार कय करने की कार्रवाई करेंगे।

4. बच्चों के लिए दुग्ध	(क) पाँच वर्ष के आयु वर्ग तक के बच्चों को दुग्ध कम्फेड द्वारा मुहैया कराया जाएगा।
	(ख) कम्फेड द्वारा मुहैया कराये गए मिल्क पाउडर के वास्तविक खर्च का भुगतान संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
5. वस्त्र / बर्त्तन	(क) विभागीय पत्रांक–1376 दिनांक– 27.04.2012 के द्वारा अग्निकांड आपदा के उपरान्त राहत वितरण के संबंध में संशोधित मानदर परिचारित है। उक्तानुसार बस्त्र के लिए ₹ 1300 प्रति परिवार तथा बर्तन के लिए ₹ 1400 प्रति परिवार की राशि का वितरण शीघ्रातिशीघ्र कर लिया जाय ताकि प्रभावित परिवार आवश्यक वस्त्र/बर्त्तन का कय कर सके।
6. पेयजल/अस्थायी शौचालय/स्वच्छता	इसकी व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा की जाएगी। इसके व्यय की प्रतिपूर्ति आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी।
7. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	इसकी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा NRHM मद से की जायेगी।
8. संचार	शिविर में दूरभाष की सुविधा की व्यवस्था पर किया गया व्यय एस0डी0आर0एफ0 मद से अनुमान्य होगा।
9. कैम्प व्यवस्था	परिवहन तथा आकस्मिक व्यय–यथा आवश्यकता।

13. **लेखा/पंजियों का संधारण–** कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा निम्न पंजियों संधारित की जाएगी।

(क) लेखा संबंधित रोकड़बही।

(ख) सामग्रियों की आमद एवं खपत से संबंधी पंजी संधारित की जाएगी। इसका नियंत्रण/सत्यापन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा प्रतिदिन किया जाएगा।

(ग) विस्थापित पंजीकृत व्यक्ति को ही भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसे सुनिश्चित किया जाय। भोजन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की भी एक पंजी अलग

से संधारित की जाएगी जिसका सत्यापन प्रतिदिन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(ध) कम्फेड से प्राप्त होने वाले मिल्क पाउडर के लिए स्टॉक पंजी संधारित की जाय क्योंकि कम्फेड को इसकी कीमत का भुगतान किया जाएगा। बच्चों को वितरित किये गये दुग्ध से संबंधित पंजी का भी संधारण किया जाएगा, जिसका सत्यापन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी प्रतिदिन करेंगे।

(ड़) सरकारी संस्था/स्वयंसेवी संस्था अथवा अन्य स्त्रोत से प्राप्त सामग्री का उपयोग कैम्प संचालन हेतु किया जा सकता है। इसके लेखा–जोखा के लिए अलग से कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा पंजी संधारित की जाएगी।

कैम्प की व्यवस्था पर व्यय निम्नलिखित मदों से विकलनीय होगा:–

क्र0सं0	मद	शीर्ष
1	भोजन सामग्री	2245–02–101–0002–खाद्यान्न की आपूर्ति
2	दरी/चटाई एवं रोशनी	2245–02–112–0002–जनसंख्या का निष्क्रमण
3	वस्त्र एवं बर्त्तन	2245–02–101–0007– क्षतिग्रस्त वस्त्रादि के लिए अनुदान
4	बच्चों के लिए दूध	2245–02–800–0006–कल्याण विभाग हेतु अनुपूरक पोषाहार
5	पेयजल	2245–02–102–0001–पेयजल की आपूर्ति
6	अस्थायी शौचालय	2245–02–109–0001–खराब जलापूर्ति मल प्रवाह प्रणाली की मरम्मति/प्रत्यस्थापना
7	संचार सुविधा	2245–02–112–0004–संचार उपकरणों का क्रय

यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक.....52 (प्र0)...../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–26.05.12

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग/कल्याण विभाग/स्वास्थ्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/भवन निर्माण विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक.....52 (प्र0)...../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–26.05.12

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक.....52 (प्र0)...../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–26.05.12

प्रतिलिपि– सभी विभागीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक.....52 (प्र0)...../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–26.05.12

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव/विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक.....52 (प्र0)...../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–26.05.12

प्रतिलिपि–माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के सचिव/मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ । अनुरोध है कि इसे माननीय मुख्य मंत्री/मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के अभिज्ञान में लाया जाए।

प्रधान सचिव